XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3713–दो/14

जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
17.4.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11–9–14 के विरूद्ध (म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3– प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । 4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में उठाये गये बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का परिशीलन किया गया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति से समझोता लेख लिखा गया था और उसके दो वर्ष उपरांत कलेक्टर, शाजापुर के आदेश दिनांक 7–3–74 से इंद्रपुरी की नियुक्ति हई थी । जिसे कोई चुनौती आवेदकों द्वारा नहीं दी गई । उन्होंने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि प्रकरण में मूल विवाद मंदिर की आमदनी के बटवारे से संबंधित है । श्री बैजनाथ महादेव मंदिर शासकीय मंदिर है और इसके लिए शासन द्वारा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष,	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

एस.डी.ओ. आगर हैं । अपर आयुक्त ने अनावेदक इंद्रपुरी की नियुक्ति 7–3–74 को होने तथा आवेदकों द्वारा 38 वर्षों तक उसे चुनौती न देने तथा उभयपक्ष के मध्य आमदनी का विवाद होने के आधार पर अपील को स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं । प्रकरण की स्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । यदि इस प्रकरण को पुजारी नियुक्ति का भी माना जाये तो पुजारी नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । आवेदक अधिवक्ता भी यह बताने में असमर्थ रहे कि पुजारी नियुक्ति के प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को है । इस आधार पर भी यह निगरानी निरस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर, ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक/ /2014-15 निगरानी R - 3713-II/14

1- हिंगलाजपुरी पिता कंचनपुरी आयु 60 वर्ष
धंधा - पुजन अर्चन
2-विष्णुपुरी पिता श्री कंचनपुरी आयु- 56 वर्ष
धंधा- पुजन अर्चन
3-प्रकाश पुरी पिता श्री श्यामपुरी, आयु 30
धंधा - पूजन अर्चन
4-लीलाबाई विधवा श्री मोहनपुरी आयु 52 व
धंधा- पुजन अर्चन समस्त निवासीगण ग्राम
निपानिया बैजनाथ तहसील आगर जिला
शाजापुर --- निगरानीकर्ता

श्री टी.टी. गुप्ता, अधि. द्वारा आज दि. 10-11-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-11-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री वी. [illegible] 10-11-14
पुरी मृतक वारीसान -

विरूद्ध

मृतक 1- इन्दरपुरी पिता कंचनपुरी आयु 70 वर्ष
निवासी- ग्राम बेटखेड़ा निपानिया तह.आगर
जिला शाजापुर म०प्र०
2- मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता ~~का~~ अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अपील /13-14 आदेश दिनांक 11-9-2014 से असंतुष्ट एवं दुखीद होकर निम्न कारणो के आधार पर निग[रानी] अन्दर अवधी में प्रस्तुत करता है -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम निपानिया बैजनाथ तह. आगर जिला आगर में स्थित बैजनाथ महादेव मन्दिर के पुजारी कंचनपुरी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के रूप में पुजारी के पद पर नियु[क्ति] हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आगर बड़ोद द्वारा प्रकरण